दिनांक 28/10/...

28/10/24 पत्रा॰ पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उप॰ नहीं। प्रार्थी का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना-पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ~~वास्ते~~ अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA [illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:03:13 IST
Reason: SelfAttested